

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-08/2015

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी
निदेशालय, बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद,
रोहतास, कैमूर(भभुआ), नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, सिवान, सारण,
गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पंचम्पारण (बेतिया),
सितामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय,
शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल,
मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से क्षेत्रीय
कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के
लिए आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रु० 84,73,745/- (चौरासी
लाख तिहत्तर हजार सात सौ पैतालीस) रूपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने
पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान
मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक,
2015 स्वीकृत हो चुका है।

- कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0405-लघु सिंचाई का युक्तियुक्तकरण योजना, के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- S/3454022050405 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
- प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

21/11/16

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंन्, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 तथा वित्त विभाग के पत्रांक-5294 दिनांक 17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृतादेश संख्या-1907 दिनांक 08.12.15 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना से संबंधित स्वीकृत योजना एवं व्यय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-


28

दिनांक-

04-01-2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. संयुक्त निदेशक(योजना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. उप निदेशक(लघु सिंचाई गणना), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
4. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।


निदेशक


4/1/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0405-लघु सिंचाई का युक्तियुक्तकरण योजनान्तर्गत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का आवंटन विवरणी। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-S/3454022050405 है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	6388445	-	100000	6488445
	जिला सांख्यिकी कार्यालय				
2	पटना	1800	-	68900	70700
3	गया	2700	-	104300	107000
4	बक्सर	3000	-	43300	46300
5	भोजपुर	2400	-	50700	53100
6	औरंगाबाद	3800	-	62300	66100
7	रोहतास	4000	-	78400	82400
8	कैमूर(भभुआ)	3800	-	57700	61500
9	नालंदा	2200	-	54000	56200
10	जहानाबाद	1500	-	24400	25900
11	अरवल	1200	-	15100	16300
12	नवादा	2800	-	45600	48400
13	सीवान	2800	-	63100	65900
14	सारण	2400	-	71200	73600
15	गोपालगंज	3800	-	58200	62000
16	मुजफ्फरपुर	2400	-	66700	69100
17	पूर्वी चम्पारण	3200	-	69500	72700
18	प० चम्पारण	2600	-	62100	64700
19	सितामढ़ी	2700	-	44500	47200
20	शिवहर	2300	-	12300	14600
21	वैशाली	1800	-	61000	62800
22	दरभंगा	3200	-	57500	60700

११/१६

BN

नं. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6
23	मधुबनी	3600	-	56900	60500
24	समस्तीपुर	2200	-	58900	61100
25	मुंगेर	2100	-	35500	37600
26	लखीसराय	2700	-	21600	24300
27	शेखपुरा	2300	-	16300	18600
28	जमुई	3800	-	51700	55500
29	बेगूसराय	2900	-	53100	56000
30	खगड़िया	3300	-	17900	21200
31	भागलपुर	4400	-	60000	64400
32	बांका	5200	-	67600	72800
33	सहरसा	3300	-	25800	29100
34	सुपौल	3900	-	29100	33000
35	मधेपुरा	2700	-	28800	31500
36	पूर्णियाँ	3000	-	51800	54800
37	किशनगंज	5500	-	29000	34500
38	अररिया	5500	-	31600	37100
39	कटिहार	5500	-	60600	66100
कुल योग		6506745	0	1967000	8473745

(चौरासी लाख तिहत्तर हजार सात सौ पैतालीस)रु०मात्र

[Handwritten Signature]
निदेशक 11/1/16

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

[Handwritten Signature]
11/1/16